

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-19/ग्यारह-2-24-9(47)/17-टी.सी.251-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(312)-2024

लखनऊ: दिनांक: 07 फरवरी, 2024


अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-836/11-9(47)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(06)-2017 दिनांक-30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची I में-2.5%,

- i. क्रम संख्या 165 के समक्ष स्तम्भ (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि 2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 10 रख दी जायेगी;
 - ii. क्रम संख्या 165क के समक्ष स्तम्भ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि 2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 10 रख दी जायेगी;
2. यह अधिसूचना दिनांक 04 जनवरी, 2024 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी ।

आज्ञा से,


(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव